Interest on Securities

प्रतिभूति से आय का तात्पर्य एक ऐसे प्रलेख से होता है, जिसमें सरकार अथवा किसी सत्ता द्वारा जनता से लिए गए ऋण को माना जाता है। इसका मूलधन सुरक्षित रहता है, तथा जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है, जो की Other Source की आय मानी जाती है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिभूतियाँ को दो भागों में विभाजित किया जाता है :-

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)
ii) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Commercial Securities)

Note :-
a) प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से जो लाभ-हानि होते हैं
b) प्रतिभूतियों के विक्रय पर यदि कोई कमीशन लगता है, तो उसे प्रतिभूतियों के विक्रय मूल्य में से घटा देना चाहिए परन्तु यदि प्रतिभूतियों के क्रय पर कमीशन लगता है तो उसे प्रतिभूतियों के क्रयमूल्य में जोड़ दिया जाता है। क्रयमूल्य तथा विक्रय-मूल्य के राशि में जो अंतर आता है, वह Capital Gain or Loss कहते हैं ।
c) प्रतिभूतियों से ब्याज प्रायः छह माह में प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त हो या नहीं हो परन्तु Accured हो जाने पर Interest on Securities की आय में शामिल कर लिया जाता है।

यदि खाता रोकड़ी अथवा Double Entry System जिसे व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं, के आधार पर ऐसी प्रणाली है तो Accured Income जिस गत वर्ष में प्राप्त होता है, वह उसी का आय माना जाता है।

Note :-

कुछ ऐसी भी प्रतिभूतियाँ है, जिसका ब्याज धारा 10 (1) के अन्तर्गत पूर्णतया करमुक्त होता है, जो निम्न है :-

i) Interest on legal Recognised P.F.
ii) Interest from Registered Tradeunion
iii) Interest from political party.
iv) Interest from 12 year N.S.C.
v) interest from National Saving Gold Bond 1980.
vi) Interest on specially Bear Bond 1991.
vii) Interest on 10 year Trassiey Saving Deposits certificate.
viii) Interest on Post Office Cash Certificate (5 year)
ix) Interest on National Plan certificate (10 years) of (12 years)
x) Interest on Post office National saving certificate (12 year)

Gross up - $\frac{\text{Received amount} \times 100}{}$

प्रतिभूति से आय का तात्पर्य एक ऐसे प्रलेख से होता है, जिसमें सरकार अथवा किसी सत्ता द्वारा जनता से लिए गए ऋण को माना जाता है। इसका मूलधन सुरक्षित रहता है, तथा जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है, जो की Other Source की आय मानी जाती है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिभूतियाँ को दो भागों में विभाजित किया जाता है :-

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities)
ii) व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Commercial Securities)

Note :-

a) प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से जो लाभ-हानि होते हैं
b) प्रतिभूतियों के विक्रय पर यदि कोई कमीशन लगता है, तो उसे प्रतिभूतियों के विक्रय मूल्य में से घटा देना चाहिए परन्तु यदि प्रतिभूतियों के क्रय पर कमीशन लगता है तो उसे प्रतिभूतियों के क्रयमूल्य में जोड़ दिया जाता है। क्रयमूल्य तथा विक्रय-मूल्य के राशि में जो अंतर आता है, वह Capital Gain or Loss कहते हैं ।
c) प्रतिभूतियों से ब्याज प्रायः छह माह में प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त हो या नहीं हो परन्तु Accured हो जाने पर Interest on Securities की आय में शामिल कर लिया जाता है।

यदि खाता रोकड़ी अथवा Double Entry System जिसे व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं, के आधार पर ऐसी प्रणाली है तो Accured Income जिस गत वर्ष में प्राप्त होता है, वह उसी का आय माना जाता है।

Note :-

कुछ ऐसी भी प्रतिभूतियाँ है, जिसका ब्याज धारा 10 (1) के अन्तर्गत पूर्णतया करमुक्त होता है, जो निम्न है :-

i) Interest on legal Recognised P.F.
ii) Interest from Registered Tradeunion
iii) Interest from political party.
iv) Interest from 12 year N.S.C.
v) interest from National Saving Gold Bond 1980.
vi) Interest on specially Bear Bond 1991.
vii) Interest on 10 year Trassiey Saving Deposits certificate.
viii) Interest on Post Office Cash Certificate (5 year)
ix) Interest on National Plan certificate (10 years) of (12 years)
x) Interest on Post office National saving certificate (12 year)
xi) Interest on Post office conductive fixed deposits A/C (15 year)
xii) Interest on fixed deposits plan 1968.
xiii) Interest on post office fixed deposits A/c 1968.
xiv) Interest on Post office public A/c upto Rs. 5,000.
xv) Interest on public security list bond.
xvi) Interest on 7% capital investment bond.
xvii) interest on 9% Relief bond 1999.
xviii) Interest on 10% Relief bond 1995.